न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर इजराय / 04 / 2019 तारीख रजु 25.06.2019

उनवान

1.नत्थी पुत्र सुन्दर, जाति जाटव, निवासी–निसूरा, तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

———–डिक्रिदार

बनाम

1. हरलाल पुत्र शंकर, जति मीना निवासी सहजनपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान

———–मदयूनप्रतिवादी

उपस्थितिः–

डिक्रिदार की ओर से :– श्री रामभरोसी गोयल एडवाकेट।

मदयूनप्रतिवादी की ओर से :– कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 16.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि डिक्रिदार की ओर वकालतन एक इजराय ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 996 के इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

इजराय प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मदयूनप्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान डिक्रिदार वकील द्वारा दिनांक 16.12.2019 को निवेदन किया कि उनका डिक्रिदार प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते हैं। इजराय प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः डिक्रिदार का इजराय मुकदमा नंबर 04 / 2019 नत्थी बनाम हरलाल नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

16.12.19

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2019.12.31 18:17:32 IST
Reason: SelfAttested